मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:26.09.2025

हिन्दू देवी-देवताओं के सम्बन्ध में यूट्यूब चैनल पर अभद्र टिप्पणी/गाना गाने वाली सरोज सरगम प्रकरण से सम्बन्धित ₹ 25-25 हजार के 03 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार , आपत्तिजन साहित्य , इलेक्ट्रानिक सिस्टम व वाद्ययंत्र बरामद —

सोशल मीडिया में हिन्दू आराध्य देवी माँ दुर्गा के सम्बन्ध में अभद्र/अश्लील टिप्पणी गाने के रूप में करते हुए बिरहा गायिका सरोज सरगम द्वारा अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर व्यापक रूप से वायरल किया गया । हिन्दू धर्मावलम्बियों की आस्था को चोट पहुँचाते हुए शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेश फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया । मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर तत्काल थाना मड़िहान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ करते हुए अभियुक्ता सरोज सरगम के साथ इस अशोभनीय आपराधिक कृत्य में 09 अन्य अभियुक्त संलिप्त पाये गये , जिनका नाम विवेचना से प्रकाश में लाया गया । साथ ही वायरल पोस्ट को दिनांक 21.09.2025 को रिमूव कराया गया ।

वायरल वीडियो के सम्बन्ध में मीरजापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी सरोज सरगम के साथ सह अभियुक्त उसके पति राममिलन बिन्द सहित कुल 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है । उक्त प्रकरण से सम्बन्धित 03 आरोपी फरार चल रहे थे , जिनपर 25-25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था । इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 26.09.2025 को इनामिया 03 अभियुक्तों 1.राजवीर सिंह यादव पुत्र बृजराज सिंह मूल निवासी ग्राम सिधौली , जनपद सीतापुर को को0शहर पुलिस टीम द्वारा तथा 2.सोनू पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी असवों दाउदपुर थाना हण्डिया , प्रयागराज व 3.शशांक प्रजापति पुत्र कैलाशराम प्रजापति निवासी पहाड़ीपुर थाना सराय इनायत , प्रयागराज को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है । उक्त प्रकरण में अभियुक्त राजवीर सिंह यादव की मुख्य भुमिका रही है जो आपत्तिजनक साहित्य का लेखक व मुख्य अभियुक्ता को वित्तीय सहायता प्रदान कर आपत्तिजनक संगीत गायन के लिये दुषप्रेरित किया जा रहा था , जो इस पुरे प्रकरण का मास्टर माइंड भी रहा है ।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1- मु0अ0सं0-271/2025 धारा-299, 196 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट, थाना मड़िहान, मीरजापुर ।

2- मु0अ0सं0-190/2025 धारा- 299, 196, 353 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना को0शहर, मीरजापुर ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. राजवीर सिंह यादव पुत्र बृजराज सिंह मूल निवासी ग्राम सिधौली , जनपद सीतापुर। उम्र-45 वर्ष । (यादव शक्ति पत्रिका का सम्पादक तथा बहुजन नायक महिषासुर पुस्तक का लेखक व नेता)
2. सोनू पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी असवों दाउदपुर थाना हण्डिया, प्रयागराज उम्र 21 वर्ष । राममिलन का भांजा (यू-ट्यूब चैनल सह संचालक)

3. शशांक प्रजापति पुत्र कैलाशराम प्रजापति निवासी पहाड़ीपुर थाना सराय इनायत , प्रयागराज उम्र-34 वर्ष। (मॉ इन्दी स्टूडिया हबूसा मोड़ का संचालक)

बरामदगी का विवरण-

मोबाइल फोन- 03, एलईडी टीवी- 02, कम्प्यूटर - 02, साउण्ड स्पीकर- 05, कैमरा-01 व अन्य इलेक्ट्रानिक सिस्टम सहित वाद्ययंत्र।

आपत्तिजनक साहित्य।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1- नीरज कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर, मीरजापुर मय टीम।

2- बाल मुकुन्द मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मड़िहान, मीरजापुर मय टीम।

3- राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मीरजापुर मय टीम।

4- मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम।

****